मो० अलाउद्दीन खान बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।

[2019] 5 एससीसीआर। 876

मोहम्मद अलाउद्दीन खान

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य।

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 675) 15 अप्रैल, 2019

[अभय मनोहर सप्रे और

दिनेश माहेश्वरी, जेजे।]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा. 482– परिवाद अन्तर्गत धारा 327 और 379 सपठित धारा 34 भा०दं०सं०– के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया। याचिका अन्तर्गत धारा 482, उच्च न्यायालय ने यह धारित करते हुए परिवाद को रद्द कर दिया कि पक्षों के बीच लंबित सिविल विवाद को देखते हुए प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है और गवाहों के बयान विरोधाभासी थे। अपील में, धारित संज्ञान लेने के लिए यह देखना है कि क्या प्रथम दृष्ट्या मामला अभियुक्त के विरुद्ध बनता है, अदालत को केवल परिवाद में आरोपों को देखने की आवश्यकता है, इस तरह का निष्कर्ष केवल सिविल विवाद की लंबितता को ध्यान में रखकर नहीं किया जा सकता है–उच्च न्यायालय के पास अन्तर्गत धारा 482 दं०प्र०सं० के क्षेत्राधिकार के तहत साक्ष्य को विश्लेषित करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। अतः उच्च न्यायालय द्वारा शिकायत को रद्द करना सही नहीं था।

अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय ने

धारित किया 1.1 उच्च न्यायालय ने यह पता लगाने के लिए मामले की जांच नहीं की कि क्या परिवाद में लगाए गये आरोप प्रथम दृष्ट्या धारा 323, 379 पठित धारा 34 आईपीसी के तहत आने वाले अपराध हैं या नहीं। इसके बजाय उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को महत्व दिया कि चूंकि एक दुकान के संबंध में मकान मालिक और किरायेदार के रूप में पक्षों के बीच सिविल कोर्ट में विवाद लंबित था, इसलिए यह मूल रूप से पक्षों के बीच एक सिविल विवाद है। इसी आधार पर उच्च न्यायालय ने परिवाद को रद्द किया। हाई कोर्ट का यह दृष्टिकोण दोषपूर्ण है।

हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम चौधरी भजन लाल एवं अन्य।

एआईआर 1992 एससी 604; [1990] 3 सप्ली एससीआर 259–के आधार पर विश्ववश्नीय।

1.2 उच्च न्यायालय यह देखने में विफल रहा कि केवल सिविल मुकदमें का लंबित रहना इस सवाल का जवाब नहीं है कि क्या धारा 323, 379 धारा 34 आईपीसी के तहत मामला विपक्षी संख्या 2 और 3 के खिलाफ बनता है या नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 5 एससीसीआर।

1.3 यह देखने के लिए क्या आरोपी के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए प्रथम दृष्ट्या कोई मामला बनता है या नहीं, न्यायालय को केवल परिवाद में लगाए गये आरोप को देखना है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर उच्च न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्ष न देने के कारण प्रश्नगत् आदेश विधित: अस्थिर है।

2. हाई कोर्ट का यह मानना भी गलत था कि घटना के बिन्दु पर गवाहों के बयानों में विरोधाभास थे। उच्च न्यायालय के पास दं०प्र०सं० की धारा 482 के अन्तर्गत कार्यवाही के दौरान साक्ष्य का विश्लेषण करने का कोई क्षेत्राधिकारी नहीं था, क्योंकि अगर गवाहों के बयानों में विरोधाभास और असंगतताएं थी तो अनिवार्य रूप से साक्ष्य के विश्लेषण से संबंधित है और इसे मुकदमें के विचारण के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सभी पक्षों के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देखा जाएगा। वर्तमान मामले में यह चरण आना अभी बाकी है।

3. इसलिए, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर परिवाद को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क और निष्कर्ष कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है अतः इसे रद्द किया जाना चाहिए।

संदर्भ केस लॉ [1990] 3 स्पलीमेन्टरी एससीआर 259 के पैरा 13 के आधार विश्वसनीय

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या–2019 का 675।

2013 के आपराधिक विविध संख्या 27078 में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 11.09.2017 से।

बिनय कुमार दास, एच हसीबुद्दीन, सुश्री प्रियंका दास, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्तागण।

प्रभात रंजन राज, जीवेश प्रकाश, सुश्री रितु दुबे, शांतनु सागर, देवाशीष भरुका, सुश्री रवि भरुका, सुश्री सर्वश्री, जस्टिन जॉर्ज, आदित्य सिंगला, उत्तरदाताओं की ओर से अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय जस्टिस अभय मनोहर सप्रे, द्वारा सुनाया गया। 1. लीव स्वीकृत।

2. यह अपील सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019] 5 एस.सी.आर. में पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 11.09.2017 के खिलाफ है।

2013 की आपराधिक विविध आवेदन संख्या 27078 जिसके तहत उच्च न्यायालय ने विपक्षी संख्या 2 व 3 द्वारा दायर आपराधिक विविध आवेदन को स्वीकार करते हुए अपीलकर्ता द्वारा दायर की गयी परिवाद को रद्द कर दिया।

3. इस अपील के निस्तारण के लिए नीचे कुछ तथ्य संक्षेप में उल्लिखित किये जा रहे हैं।

4. आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सारण, छपरा द्वारा परिवाद मुकदमा संख्या 21/2012 में पारित आदेश दिनांकित 13.02.2013 को रद्द कर दिया,जिसमें अपीलकर्ता द्वारा दाखिल परिवाद में विपक्षी संख्या 2 और 3 के विरुद्ध अंतर्गत धारा

323, 379 सपठित धारा 34 भा०दं०सं० का प्रथम दृष्ट्या मामला पाते हुए संज्ञान लिया गया था।

5. अतः प्रस्तुत अपील में विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उठता है वह यह कि क्या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विपक्षी संख्या 2 व 3 के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323, 379 सपठित धारा 34 भा०दं०सं० का प्रथम दृष्ट्या अपराध कारित किया जाना पाते हुए उन्हें गुणदोष के आधार पर विचारण के लिए बुलाना सही था अथवा उच्च न्यायालय द्वारा धारित कि विपक्षी संख्या 2 व 3 के विरुद्ध कोई भी प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है, सही था।

6. श्री बिनय कुमार दास, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता, श्री प्रभात रंजन राज, विपक्षी संख्या 2 व 3 के विद्वान अधिवक्ता और श्री देवाशीष भरुका विपक्षी संख्या 1– राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद, हम अपील की अनुमति देने, विवादित आदेश को रद्द करने और न्यायिक मजिस्ट्रेट के दिनांक 13.02.2013 के आदेश को बहाल करने के लिए बाध्य है।

8. उच्च न्यायालय ने मामले के पैरा 6 का परीक्षण किया, जो इस प्रकार है:

" पैरा 6. परिवाद याचिका का अवलोकन करने पर,

मैंने पाया कि परिवादी ने दावा किया है कि सबसे पहले, उसने भूमि मालिक से दुकान परिसर खरीदने के लिए अनुबंध किया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने अधिक पैसे की पेशकश की और दस्तावेज को अपने पक्ष में पंजीकृत करा लिया। भूमि मालिक से बिक्री के समझौते या उसे किसी भी राशि के भुगतान का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई कागजात नहीं है। याजिकाकर्ता का दावा है कि वह उस दुकान का निष्ठावान क्रेता है जिसमें वह परिवादी का किरायेदार था। याचिकाकर्ता ने 2012 में बेदखली हेतु मुकदमा संख्या 10 दायर किया है, जिसमें शिकायतकर्ता ने उक्त दुकान परिसर में किरायेदारी स्वीकार करते हुए अपना लिखित बयान दाखिल किया है। शिकायतकर्ता ने आगे दावा किया है कि वह नियमित रूप से उक्त दुकान का किराया चुकाता रहा है और जब उसे याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दुकान परिसर के हस्तांतरण के बारे में पता चला, तो शिकायतकर्ता ने 2012 का टाइटल सूट नंबर 2 दायर किया। पक्षों के बीच विवाद एक सिविल विवाद प्रतीत होता है। बेदखली के मुकदमें में शिकायतकर्ता द्वारा मकान मालिक और किरायेदार के रिश्ते को स्वीकार किया गया है। मैंने यह भी पाया कि घटना के बिन्दु पर गवाहों के बयान में विरोधाभास है। उपरोक्त पृष्टभूमि में इन याचिकाकर्ताओं पर आपराधिक मुकदमा चलाना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग प्रतीत होता है।"

9. आक्षेपित आदेश का अवलोकन करने पर, हम पाते हैं कि इसमें दो त्रुटियाँ हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 5 एससीसीआर।

10. पहली गलती यह है कि हाई कोर्ट ने मामले की जांच इस दृष्टि से नहीं की कि यह पता लगाएं कि परिवाद में लगाए गये आरोप प्रथम दृष्ट्या अन्तर्गत धारा 323, 379 सपठित धारा 34 भा०दं०सं० के बनते है या नहीं।

11. इसके बजाय उच्च न्यायालय ने पैरा 6 में इस तथ्य को महत्व दिया कि चूंकि पक्षकारों के बीच स्वामी एवं किरायेदार के रूप में दुकान के संबंध में सिविल न्यायालय में मामला लंबित है, जो कि निश्चित रूप से सिविल विवाद है।

12. इसी आधार पर उच्च न्यायालय ने परिवाद को रद्द करने की कार्यवाही की। हमारे विचार से उच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण दोषपूर्ण है।

13. हालांकि उच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का उल्लेख किया है। हरियाणा राज्य और अन्य बनाम चौधरी भजनलाल और अन्य (एआईआर 1992 एससी 604) लेकिन उसमें निर्धारित सिद्धांत को इस मामले के तथ्यों पर लागू करने में विफल रहा।

14. उच्च न्यायालय यह देखने में विफल रहा कि केवल सिविल मुकदमें का लंबित रहना इस सवाल का जवाब नहीं है कि क्या धारा 323, 379 सपठित धारा 34 भा०दं०सं० का मामला विपक्षी संख्या 2 और 3 के खिलाफ बनता है या नहीं।

15. उच्च न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि जब अपीलकर्ता की शिकायत में एक विशिष्ट शिकायत यह थी कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 ने आईपीसी की धारा 323, 379 सहपठित धारा 34 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध किये हैं, तो जांच का प्रश्न यह है कि परिवाद में इन दोनों अपराधों के घटित होने के आरोप हैं या नहीं। दूसरे शब्दों में, यह देखने के लिए कि आरोपी के विरुद्ध संज्ञान लेने पर प्रथम दृष्ट्या कोई मामला बनता है या नहीं, न्यायालय को केवल परिवाद में लगाए गए आरोपों को देखना आवश्यक है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किसी भी निष्कर्ष के अभाव में, विवादित आदेश कानूनी रूप से अस्थिर है।

16. दूसरी त्रुटि यह है कि उच्च न्यायालय ने पैरा 6 में माना कि घटना के बिंदु पर गवाहों के बयानों में विरोधाभास है।

17. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय के पास दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 दं०प्र०सं० के तहत कार्यवाही में साक्ष्य को विश्लेषित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, क्योंकि यदि इसमें विरोधाभास या/और विसंगतियां है तो गवाहों के बयान का अनिवार्य रूप से विश्लेषण न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पक्षकारों के साक्ष्य आने के उपरान्त मुकदमें के विचारण के दौरान किया जाएगा। इस मामले में वह चरण अभी आना बाकी है।

मो० अलाउद्दीन खान बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।

18. इन दो त्रुटियों के कारण, हमारी सुविचारित राय है कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर परिवाद को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क और निष्कर्ष कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है और इसलिए इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

19. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, अपील सफल होती है और है तद्नुसार स्वीकृत की गयी। आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है और आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनांक 13.02.2013 को बहाल

कर दिया गया है, क्योंकि यह एक निष्कर्ष को दर्ज करता है कि प्रथम दृष्ट्या परिवाद पर संज्ञान लेने का मामला बनता है।

20. तद्नुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट को विचारण पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है कि उच्च न्यायायलय या इस न्यायालय द्वारा पारित किसी टिप्पणी से अप्रभावित हुए बिना पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा निस्तारित करेगा।

कल्पना के. त्रिपाठी अपील स्वीकृत।

पुनरीक्षित द्वारा– महेन्द्र कुमार सिंह,[J.O.Code–UP1776], अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय–I, संतकबीर नगर।